न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–62 / 2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–12.07.2019

उनवान

देशराज पुत्र छीतर जाति–बैरवा निवासी ग्राम अलीमपुरा तहसील–पीपलू जिला–टोंक

(प्रार्थी)

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक

(अप्रार्थी)

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री रामअवतार चौधरी
अधिवक्ता अप्रार्थी:–पैराकार सरकार

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

दिनांक:–11.10.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 09 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 04 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अलीमपुरा पटवार हल्का काशीपुरा भू0अ0नि0 पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थी के पिता छीतर के नाम दर्ज थी। जो कि विरासत नामान्तकरण भरते समय देशराज की जगह मेघराज दर्ज हो गया जबकि सही नाम देशराज पुत्र छीतर कौम बैरवा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हैं। वर्तमान में राशन कार्ड, पहचान कार्ड, आधार कार्ड में देशराज बैरवा पुत्र छीतर बैरवा दर्ज हैं। अतः नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जिसकों दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जो पत्रावली शुमार हैं। तहसीलदार पीपलू ने रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं एवं प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में आधार कार्ड एवं राशनकार्ड की प्रति प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् आधार कार्ड एवं राशनकार्ड एवं तहसीलदार पीपलू से चाही गई वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, पीपलू की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 09 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 04 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अलीमपुरा पटवार हल्का काशीपुरा भू0अ0नि0 पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम मेघराज के स्थान पर देशराज बैरवा पुत्र छीतर बैरवा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)